



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परामर्श परिपत्रों के द्वारा प्रभावशील समयमान वेतनमान योजना के तहत, बोर्ड की विभागीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार, पूर्व में जारी पदोन्नति के सापेक्ष निम्नलिखित अधिकारियों को नियमानुसार 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे एवं 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+7600 ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया जाता है (दिनांक 01.04.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि में वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के आधार पर तथा दिनांक 01.09.2008 से वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के आधार पर ही समयमान वेतनमान निर्धारित किया जाकर बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा)

क्र.	अधिकारियों का नाम/पदनाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद का नाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति की दिनांक	08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक	16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक
1	श्रीमती सुरेखा सोनवाने, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	25.07.90	01.04.06	25.07.06
2	श्री डी. एन. गदेवाड़ीकर, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	06.10.89	01.04.06	01.04.06
3	सुश्री रीता तिवारी, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	28.09.89	01.04.06	01.04.06
4	श्री पी. आर. देव, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	03.10.89	01.04.06	01.04.06
5	श्री नेत्रपाल सिंह, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	18.04.94	01.04.06	18.04.10
6	श्री अमोलदास संत, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	01.07.95	01.04.06	01.07.11
7	श्री एम. के. मंडराई, कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री	08.04.92	01.04.06	08.04.08
8	श्री व्ही. एस. राय, कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री	21.11.94	01.04.06	21.11.10

शर्त :-

- 1 समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का द्वितीय लाभ लेने के पश्चात् कोई अधिकारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

2. समयमान वेतनमान में स्वीकृति के फलस्वरूप पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

sd
(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 22-9-14

पृ.क. 2174 स्था/प्रनिबो/2014
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परामर्श परिपत्रों के द्वारा प्रभावशील समयमान वेतनमान योजना के तहत, बोर्ड की विभागीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार, पूर्व में जारी पदोन्नति/समयमान वेतनमान के सापेक्ष, बोर्ड के आदेश क्रमांक 2510 दिनांक 17.09.2012 को संशोधित करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को नियमानुसार 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे एवं 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+7600 ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया जाता है (दिनांक 01.04.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि में वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के आधार पर तथा दिनांक 01.09.2008 से वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के आधार पर ही समयमान वेतनमान निर्धारित किया जाकर बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा)

क.	अधिकारियों का नाम/पदनाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद का नाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति की दिनांक	08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक	16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक
1	श्री आर. के. गुप्ता, अधीक्षण यंत्री	सहायक यंत्री	03.10.89	-	01.04.06
2	श्री आदेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री	07.10.89	-	01.04.06
3	श्री अभय सराफ, कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री	28.09.89	-	01.04.06
4	श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला, कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री	06.10.89	-	01.04.06
5	श्री शंकर प्रसाद बढौलिया, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	07.04.94	01.04.06	07.04.10
6	श्री राजेन्द्र कुमार मालवीय, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	28.04.94	01.04.06	28.04.10
7	डॉ० श्यामानुज तिवारी, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	18.04.94	01.04.06	18.04.10
8	डॉ० प्रभाशंकर शर्मा, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	06.04.94	01.04.06	06.04.10
9	श्री सुनील श्रीवास्तव, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	26.11.94	01.04.06	26.11.10



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

10	डॉ० आलोक सक्सेना, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	23.11.94	01.04.06	23.11.10
11	डॉ० नीरज वर्मा, वैज्ञानिक	वैज्ञानिक	27.01.95	01.04.06	27.01.11

शर्तें :-


1. समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का द्वितीय लाभ लेने के पश्चात् कोई अधिकारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानो का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
2. समयमान वेतनमान में स्वीकृति के फलस्वरूप भदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।


स. ए.
(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क. 2176 स्था/प्रनिबो/2014
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 22-09-2014

1. क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत मस्ती।


(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/वार भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परामर्श परिपत्रों के द्वारा प्रभावशील समयमान वेतनमान योजना के तहत, बोर्ड की विभागीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार, पूर्व में जारी बोर्ड के आदेश क्रमांक 2512/स्था/प्रनिबो/2012 भोपाल दिनांक 17.09.2012 को संशोधित करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को नियमानुसार 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे एवं 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+7600 ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया जाता है (दिनांक 01.04.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि में वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के आधार पर तथा दिनांक 01.09.2008 से वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के आधार पर ही समयमान वेतनमान निर्धारित किया जाकर बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा)

क.	अधिकारियों का नाम/पदनाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद का नाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति की दिनांक	08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक	16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक
1	श्री शांतिप्रकाश झा, सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	14.11.94	01.04.06	14.11.10
2	श्री ऋषिराज सिंह सेंगर, सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	16.11.94	01.04.06	16.11.10
3	श्री बृजेश शर्मा, सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	23.11.94	01.04.06	23.11.10
4	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	21.11.94	01.04.06	21.11.10

शर्त :-

- 1 समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का द्वितीय लाभ लेने के पश्चात् कोई अधिकारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

- वापिस नहीं लिया जायेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानो का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
2. समयमान वेतनमान में स्वीकृति के फलस्वरूप पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

Sd/-
(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क 2178 स्था/प्रनिबो/2014
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 22-9-14

1. क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

Sd/-
(ए. ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परामर्श परिपत्रों के द्वारा प्रभावशील समयमान वेतनमान योजना के तहत, बोर्ड की विभागीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार, पूर्व में जारी पदोन्नति के सापेक्ष जारी किये गये बोर्ड के आदेश क्रमांक 948/स्था/प्रनिबो/2013 भोपाल दिनांक 16.04.2013 को संशोधित करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को नियमानुसार 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे एवं 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+7600 ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया जाता है (दिनांक 01.04.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि में वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के आधार पर तथा दिनांक 01.09.2008 से वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के आधार पर ही समयमान वेतनमान निर्धारित किया जाकर बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा)

क.	अधिकारियों का नाम/पदनाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद का नाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति की दिनांक	08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक	16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक
1	श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री	सहायक यंत्री	28.09.89	-	01.04.06
2	डॉ० पी. के. शर्मा, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	02.04.92	01.04.06	02.04.08
3	डॉ० दिलीप बागेली, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	16.04.92	01.04.06	16.04.08
4	डॉ० लोकेन्द्र त्रिवेदी, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	08.04.92	01.04.06	08.04.08
5	डॉ० अरुण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	10.04.92	01.04.06	10.04.08
6	श्री गुटानी अम्बुलकर, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	21.04.94	01.04.06	21.04.10

शर्त :-

- समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का द्वितीय लाभ लेने के पश्चात् कोई अधिकारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

वापिस नहीं लिया जायेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

2. समयमान वेतनमान में स्वीकृति के फलस्वरूप पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ए. ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 22-9-14

पृ.क. 2180 स्था/प्रनिबो/2014
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

(ए. ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परामर्श परिपत्रों के द्वारा प्रभावशील समयमान वेतनमान योजना के तहत, बोर्ड की विभागीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार, पूर्व में जारी पदोन्नति के सापेक्ष निम्नलिखित अधिकारियों को नियमानुसार 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे एवं 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+7600 ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया जाता है (दिनांक 01.04.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि में वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के आधार पर तथा दिनांक 01.09.2008 से वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के आधार पर ही समयमान वेतनमान निर्धारित किया जाकर बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा)

क्र.	अधिकारियों का नाम/पदनाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद का नाम	आंशिक सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति की दिनांक	08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक	16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय समयमान वेतनमान की दिनांक
1	श्री सुरेश कुमार श्रृंगी, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	18.04.92	01.04.06	18.04.08
2	श्री अरविंद केशवरे, मुख्य रसायनज्ञ	वैज्ञानिक	09.04.92	01.04.06	09.04.08

शर्त :-

- समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का द्वितीय लाभ लेने के पश्चात् कोई अधिकारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- समयमान वेतनमान में स्वीकृति के फलस्वरूप पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ए. ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 22-9-14

पृ.क्र. 2182 स्था/प्रनिबो/2014

प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
- कार्यपालन यंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
- व्यक्तिगत नस्ती।

(ए. ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल